मध्य प्रदेश में बाल श्रम की निगरानी में डिजिटल हस्तक्षेप: "पेंसिल" (PENCiL) पोर्टल का एक विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ नेहा स्वर्णकार
सहायक प्रवक्ता (अर्थशास्त्र)
टीकाराम यादव स्मृति पी जी महाविद्यालय मोठ (झांसी)

भारत में बाल श्रम का उन्मूलन केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। इस दिशा में डिजिटल तकनीकी का समावेश करते हुए, भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने "पेंसिल" (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour - PENCiL) पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मंच के रूप में कार्य करता है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, नागरिक समाज और आम जनता को एक साझा उद्देश्य—बाल श्रम मुक्त समाज—के लिए एकीकृत करता है [1]। विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से विशाल और आर्थिक रूप से विविध राज्य में, जहाँ कृषि और असंगठित क्षेत्र का व्यापक विस्तार है, इस प्रकार के डिजिटल हस्तक्षेप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पेंसिल पोर्टल की कार्यप्रणाली, इसके विभिन्न घटकों, कार्यान्वयन की चुनौतियों, हालिया विधिक संशोधनों और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक अधिदेश

भारत में बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष की जड़ें भारतीय संविधान में गहराई से समाहित हैं। संविधान निर्माताओं ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा को मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा बनाया। अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता [3]। इसी प्रकार, अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो बाल श्रम को रोकने की दिशा में एक सशक्त कानूनी उपकरण है [4]।

संविधान के अनुच्छेद 39(e) और (f) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और उन्हें बचपन में आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसे कार्यों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं हैं [3]। इन संवैधानिक अधिदेशों को प्रभावी बनाने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू किया गया था। इस अधिनियम में 2016 में ऐतिहासिक संशोधन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी व्यवसाय में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक है [5]।

बाल श्रम से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद	मुख्य प्रावधान
अनुच्छेद 21-A	6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार [1]।
अनुच्छेद 23	मानव तस्करी और जबरन श्रम (बेगार) पर प्रतिबंध [4]।
अनुच्छेद 24	कारखानों, खानों और खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक [3]।
अनुच्छेद 39	बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और बचपन के दुरुपयोग को रोकने का राज्य का कर्तव्य [3]।
अनुच्छेद 45	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान [5]।

पेंसिल (PENCiL) पोर्टल: संरचना और तकनीकी वास्तुकला

पेंसिल पोर्टल, जिसे 26 सितंबर 2017 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था, बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में एक तकनीकी मील का पत्थर है [7]। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह पोर्टल एक बहु-स्तरीय प्रणाली है जो सूचनाओं के प्रवाह को निचले स्तर (जिला) से उच्चतम स्तर (केंद्र) तक सुचारू बनाती है [10]। इसकी कार्यप्रणाली पांच मुख्य घटकों पर आधारित है जो आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं [1]।

शिकायत कॉर्नर (Complaint Corner)

शिकायत कॉर्नर पोर्टल का सबसे सक्रिय भाग है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। यह किसी भी नागरिक को बाल श्रम की घटना को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की शक्ति प्रदान करता है [1]। प्रणाली की पारदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिकायत दर्ज होते ही वह स्वचालित रूप से संबंधित जिले के 'जिला नोडल अधिकारी' (DNO) को स्थानांतरित हो जाती है [10]। शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होती है जिससे वह अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है [12]।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जिला नोडल अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर उसकी सत्यता की जांच करनी होती है। यदि शिकायत वास्तविक पाई जाती है, तो पुलिस विभाग के समन्वय से तत्काल बचाव (Rescue) उपाय किए जाते हैं [9]। यह समयबद्ध प्रक्रिया भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाओं को कम करती है।

बाल ट्रैकिंग प्रणाली (Child Tracking System)

रेस्क्यू किए गए बच्चों के दीर्घकालिक कल्याण के लिए 'चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम' (CTS) एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के लिए एक इंडेक्स कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी, रेस्क्यू का स्थान और पुनर्वास की प्रगति दर्ज की जाती है [1]। यह प्रणाली विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए उपयोगी है जहाँ से बड़ी संख्या में श्रमिक अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं। इंडेक्स कार्ड के माध्यम से प्रवासी बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की निरंतरता सुनिश्चित की जाती है [10]।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) घटक

NCLP घटक पोर्टल को उन जिला परियोजना समितियों (DPS) से जोड़ता है जो ज़मीनी स्तर पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र (STC) संचालित करती हैं। इसके माध्यम से केंद्रों की वित्तीय रिपोर्टिंग, बच्चों की उपस्थिति और उनके वजीफे (Stipend) के भुगतान की निगरानी की जाती है [10]। यद्यपि NCLP को अब अन्य योजनाओं में समाहित किया गया है, लेकिन पोर्टल का यह हिस्सा अभी भी ऐतिहासिक डेटा और मौजूदा पुनर्वास कार्यक्रमों की रीढ़ बना हुआ है [6]।

राज्य सरकार और अभिसरण (Convergence)

'राज्य सरकार' घटक के तहत, मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के भीतर एक 'राज्य संसाधन केंद्र' (SRC) स्थापित किया गया है, जो राज्य स्तर पर पोर्टल के प्रदर्शन की समीक्षा करता है [1]। 'अभिसरण' घटक यह सुनिश्चित करता है कि बाल श्रम उन्मूलन का कार्य केवल श्रम विभाग तक सीमित न रहे। इसमें महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कौशल विकास और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझाकरण और समन्वय शामिल है [1]।

मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन की प्रशासनिक व्यवस्था और संस्थागत ढांचा

मध्य प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा कार्य करता है। राज्य स्तर पर, 'राज्य संसाधन केंद्र' (SRC) श्रम सचिव की अध्यक्षता में कार्य करता है जो पेंसिल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करता है [5]। इंदौर में स्थित श्रम आयुक्त संगठन इस पूरी प्रक्रिया का रणनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है [20]।

जिला स्तर पर, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर की अध्यक्षता वाली 'जिला परियोजना समिति' (DPS) की होती है [6]। जिले के भीतर बाल श्रम की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए जिला नोडल अधिकारी (DNO) को प्रमुख भूमिका सौंपी गई है [8]।

मध्य प्रदेश श्रम विभाग की संगठनात्मक संरचना	भूमिका एवं उत्तरदायित्व
श्रम आयुक्त संगठन (इंदौर)	राज्य स्तर पर प्रवर्तन और नीति कार्यान्वयन का नेतृत्व [20]।
राज्य संसाधन केंद्र (SRC)	अंतर-विभागीय समन्वय और पेंसिल पोर्टल की निगरानी [8]।
जिला परियोजना समितियाँ (DPS)	स्थानीय स्तर पर STC का प्रबंधन और निधियों का आवंटन [6]।
जिला नोडल अधिकारी (DNO)	शिकायतों का सत्यापन और पुलिस के साथ रेस्क्यू का समन्वय [9]।
मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल श्रमिक कल्याण बोर्ड	विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे मंदसौर) के लिए लक्षित कल्याण योजनाएं [20]।

प्रवर्तन की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश ने 'जियो-टैगिंग' (Geo-Tagging) की शुरुआत की है। 2026 के नए नियमों के अनुसार, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी भौगोलिक स्थिति को 'श्रम सेवा पोर्टल' पर दर्ज करना अनिवार्य है [20]। यह तकनीकी हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि श्रम निरीक्षक उन क्षेत्रों का भी सटीक दौरा कर सकें जो पहले अप्राप्य या छिपे हुए थे।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) और शिक्षा का अधिकार: एक बदलता परिदृश्य

1988 में शुरू की गई 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' (NCLP) दशकों तक बाल श्रमिकों के पुनर्वास का मुख्य आधार रही है [2]। इस योजना के तहत, 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर 'विशेष प्रशिक्षण केंद्रों' (STC) में भेजा जाता था, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए तैयार किया जाता था [6]।

1 अप्रैल 2021 से, भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए NCLP योजना को शिक्षा मंत्रालय के 'समग्र शिक्षा अभियान' (SSA) में विलय कर दिया है [6]। इस विलय का उद्देश्य बाल श्रमिकों के शैक्षणिक पुनर्वास को देश की मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के साथ अधिक मजबूती से जोड़ना है। मध्य प्रदेश में, इस संक्रमण काल के दौरान पुराने स्वीकृत STC का संचालन जारी रहा है, लेकिन अब वे SSA

के ढांचे के तहत कार्य कर रहे हैं [17]।

विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) की कार्यप्रणाली और लाभ

STC में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि उनके समग्र विकास के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह पुनर्वास प्रक्रिया पेंसिल पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक की जाती है [7]।

1. **ब्रिज एजुकेशन (Bridge Education):** स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा के स्तर तक लाने के लिए त्वरित शिक्षण।
2. **व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training):** किशोरों के लिए कौशल विकास ताकि वे भविष्य में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें [1]।
3. **वजीफा (Stipend):** प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 150 रुपये (या संशोधित दर) का वजीफा दिया जाता है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा होता है [13]।
4. **पोषण और स्वास्थ्य:** मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए समर्पित डॉक्टर [11]।

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का डेटा इस प्रणाली की प्रभावशीलता का एक प्रमाण है। जुलाई 2022 तक, शाजापुर में 287 बच्चे इन केंद्रों में नामांकित थे, और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जिला परियोजना समिति को 72 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई थी [17]। यह डेटा दर्शाता है कि डिजिटल निगरानी के माध्यम से निधियों का वितरण और बच्चों की प्रगति का दस्तावेजीकरण अधिक पारदर्शी हुआ है।

डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण मध्य प्रदेश की चुनौतियाँ: एक गहरा विश्लेषण

पेंसिल पोर्टल की सफलता अनिवार्य रूप से राज्य की डिजिटल बुनियादी संरचना और नागरिकों की डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में निवास करती है, 'डिजिटल डिवाइड' (Digital Divide) एक गंभीर बाधा है [25]।

बुनियादी ढांचे की सीमाएं

यद्यपि शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच व्यापक है, लेकिन ग्रामीण मध्य प्रदेश में स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। TRAI की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पैठ केवल 33% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 99% तक पहुँच चुकी है [27]। ग्रामीण स्कूलों में भी तकनीकी संसाधनों की भारी कमी है; 2019 के आंकड़ों के अनुसार, केवल 24% ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध थे और इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी कम थी [26]।

इन बाधाओं के परिणामस्वरूप, पेंसिल पोर्टल पर रीयल-टाइम डेटा अपलोड करना और शिकायतों का त्वरित निवारण करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के कुछ दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की गति इतनी धीमी है कि वहां के कर्मचारी पोर्टल के 'चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम' का उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं [26]।

डिजिटल साक्षरता और क्षमता निर्माण

डिजिटल उपकरणों के उपयोग की जानकारी न होना भी एक प्रमुख समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश शिक्षक और ग्राम स्तर के अधिकारी डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं, जिससे पोर्टल का प्रभावी उपयोग बाधित होता है [15]। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) शुरू किया है

[25]।

मध्य प्रदेश ने PMGDISHA के कार्यान्वयन में सराहनीय प्रगति की है। 37.84 लाख के सांकेतिक लक्ष्य के विरुद्ध, राज्य में 45.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 33.51 लाख से अधिक को प्रमाणित किया गया है [28]। यह प्रशिक्षित मानव संसाधन भविष्य में पेंसिल पोर्टल जैसे डिजिटल हस्तक्षेपों को ज़मीनी स्तर पर सफल

मध्य प्रदेश में डिजिटल साक्षरता (PMGDISHA) के आंकड़े	संख्या
कुल नामांकित उम्मीदवार	6.15 करोड़ (राष्ट्रीय स्तर) [28]।
मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित उम्मीदवार	45.42 लाख [28]।
मध्य प्रदेश में प्रमाणित उम्मीदवार	33.51 लाख [28]।
ग्रामीण भारत में इंटरनेट पैठ (2022)	33% [27]।

बनाने में मदद करेगा।

मध्य प्रदेश श्रम कानून संशोधन (2025-2026) और डिजिटल अनुपालन

मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 और 2026 के लिए श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव किए हैं ताकि "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के साथ-साथ श्रमिकों, विशेषकर बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को डिजिटल रूप से सुनिश्चित किया जा सके [22]।

'श्रम सेवा पोर्टल' का सुदृढ़ीकरण

मध्य प्रदेश का 'श्रम सेवा पोर्टल' अब बाल श्रम की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। नए 'मध्य प्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और विविध उपबंध अधिनियम, 2025' के तहत, सभी प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है [22]। एक प्रमुख नवाचार 'जियो-टैगिंग' का अनिवार्य होना है। अब प्रत्येक नियोक्ता को अपने व्यवसाय स्थल की फोटो और जीपीएस लोकेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करनी होती है [20]।

यह 'जियो-टैगिंग' प्रणाली पेंसिल पोर्टल की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देती है। जब कोई नागरिक पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, तो अधिकारी श्रम सेवा पोर्टल के डेटा का मिलान करके उस प्रतिष्ठान की सटीक पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा, 'केंद्रीकृत निरीक्षण प्रणाली' (CIS) अब जोखिम-आधारित मानदंड (Risk-based Criteria) का उपयोग करती है, जिससे उन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण संभव हो पाता है जहाँ बाल श्रम की संभावना अधिक होती है [22]।

2026 के नए नियम और दंड

मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और कामकाजी परिस्थितियों के लिए नए 'कोड ऑन वेजेस (MP रूल्स 2026)' जारी किए हैं [20]। बाल श्रम के उल्लंघन के मामलों में दंड को और सख्त किया गया है। यदि कोई नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है [30]। इन दंडात्मक प्रावधानों को अब डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा रहा है ताकि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सके [6]।

सांख्यिकीय विश्लेषण और पोर्टल का प्रदर्शन

पेंसिल पोर्टल पर दर्ज डेटा मध्य प्रदेश और भारत में बाल श्रम की बदलती प्रवृत्तियों को समझने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यद्यपि 2011 की जनगणना के

अनुसार भारत में 1.01 करोड़ बाल श्रमिक थे, लेकिन पेंसिल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाला रीयल-टाइम डेटा अधिक गतिशील तस्वीर पेश करता है [5]।

1 जनवरी 2018 से 2 अगस्त 2022 के बीच पेंसिल पोर्टल पर राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3738 शिकायतें दर्ज की गईं [33]। इनमें से 2885 मामलों का समाधान किया गया और 312 बच्चों को तत्काल रेस्क्यू और पुनर्वास की प्रक्रिया में लाया गया [33]। यह डेटा दर्शाता है कि पोर्टल का उपयोग शिकायतों के निवारण के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

पेंसिल पोर्टल: शिकायत एवं समाधान की स्थिति (2018-2022)	संख्या
कुल दर्ज शिकायतें	3738 [33]।
बंद किए गए मामले (Closed Cases)	2885 [33]।
रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए भेजे गए मामले	312 [33]।
NCLP के तहत रेस्क्यू किए गए बच्चे (2018-19)	66,169 [34]।
NCLP के तहत मुख्यधारा में लाए गए कुल बच्चे (प्रारंभ से)	14.3 लाख [6]।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में, राज्य ने बाल श्रम की रिपोर्टिंग में वृद्धि देखी है। 2017 के बाद से बाल श्रम कानूनों के तहत दर्ज मामलों में 509% की वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय पेंसिल पोर्टल जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से बढ़ी हुई जागरूकता और सुलभ रिपोर्टिंग को दिया जा सकता है [36]।

पुनर्वास की प्रक्रिया और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

बाल श्रम से रेस्क्यू किए गए बच्चे का पुनर्वास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल हस्तक्षेप केवल पहला कदम है। पेंसिल पोर्टल के माध्यम से होने वाला 'अभिसरण' (Convergence) यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को शिक्षा और परिवार को आर्थिक सहायता मिले [1]।

बहु-विभागीय समन्वय की भूमिका

मध्य प्रदेश राज्य कार्य योजना (State Action Plan) 2023-2027 के तहत, बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न विभागों की भूमिका स्पष्ट की गई है [23]।

- **महिला एवं बाल विकास विभाग (DWCD):** चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के माध्यम से शिकायतों का प्राथमिक संग्रहण और बच्चों के लिए 'इंडिविजुअल केयर प्लान' (ICP) तैयार करना [37]।
- **गृह विभाग (पुलिस):** थानों में 'बाल मित्र कक्ष' (Child Friendly Rooms) का निर्माण और रेस्क्यू ऑपरेशनों का क्रियान्वयन [37]।
- **स्वास्थ्य विभाग:** रेस्क्यू किए गए बच्चों का तत्काल चिकित्सा परीक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता [21]।

गरीबी और सामाजिक असुरक्षा का प्रभाव

अध्ययनों से पता चलता है कि बाल श्रम का मुख्य कारण अत्यधिक गरीबी है [4]। मध्य प्रदेश में कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी आय परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होती। पेंसिल पोर्टल का 'अभिसरण' घटक यह अनिवार्य बनाता है कि रेस्क्यू किए गए बच्चों के माता-पिता को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA), 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से जोड़ा जाए [13]।

जब तक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक बच्चे को वापस श्रम की ओर लौटने का खतरा बना

रहता है। इसलिए, पेंसिल पोर्टल के माध्यम से बच्चे की शैक्षणिक प्रगति और परिवार की आर्थिक स्थिति दोनों की ट्रैकिंग अनिवार्य है [10]।

मध्य प्रदेश में डिजिटल हस्तक्षेप की सफलता और सीमाएँ

पेंसिल पोर्टल के कार्यान्वयन से मध्य प्रदेश में कुछ उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं, लेकिन साथ ही कुछ अंतर्निहित सीमाएँ भी उजागर हुई हैं।

सफलता के बिंदु

1. **पारदर्शिता:** शिकायतों का डिजिटल पंजीकरण और 48 घंटे की समय सीमा ने प्रशासनिक जवाबदेही तय की है [9]।
2. **डेटा एकीकरण:** अब राज्य और केंद्र सरकार के पास बाल श्रम के 'हॉटस्पॉट' (Hotspots) की पहचान करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध है [1]।
3. **मुख्यधारा में लाना:** NCLP और SSA के माध्यम से लाखों बच्चों को स्कूल की ओर मोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है [1]।

सीमाएँ और बाधाएं

1. **डेटा विसंगति (Data Inconsistency):** जनगणना के आंकड़ों और पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के बीच एक बड़ा अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक थे, जबकि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की संख्या हजारों में है, जो कम रिपोर्टिंग की ओर संकेत करता है [36]।
2. **संसाधनों की कमी:** कई जिला परियोजना समितियों के पास डिजिटल बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन की कमी है [13]।
3. **प्रवासी श्रमिकों की ट्रैकिंग:** मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से पलायन करने वाले बच्चों की एक राज्य से दूसरे राज्य में निरंतर ट्रैकिंग अभी भी एक तकनीकी चुनौती बनी हुई है [10]।

भविष्य की रूपरेखा और रणनीतिक अनुशंसाएं

पेंसिल पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश में बाल श्रम की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

1. **AI और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग:** पेंसिल पोर्टल के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मॉडल विकसित किए जाने चाहिए जो उन उद्योगों और क्षेत्रों की भविष्यवाणी कर सकें जहाँ बाल श्रम की संभावना सबसे अधिक है [1]।
2. **स्थानीय भाषाओं में मोबाइल ऐप:** पोर्टल का एक सरल मोबाइल एप्लिकेशन मध्य प्रदेश की स्थानीय बोलियों (जैसे बुंदेलखंडी, मालवी) में उपलब्ध होना चाहिए ताकि ग्रामीण आबादी बिना किसी संकोच के रिपोर्ट कर सके [15]।
3. **ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान:** जैसा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया था, पेंसिल पोर्टल की सफलता के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि यह केवल एक सरकारी वेबसाइट न बनकर एक जन-आंदोलन बन सके [9]।
4. **NGO और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी:** पोर्टल में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के लिए एक समर्पित इंटरफेस होना चाहिए जहाँ वे अपने द्वारा

किए गए रेस्क्यू और पुनर्वास कार्यों का डेटा सीधे साझा कर सकें [1]।

5. **वित्तीय सहायता का रीयल-टाइम वितरण:** रेस्क्यू किए गए बच्चों को दी जाने वाली तत्काल वित्तीय सहायता (जैसे 20,000 रुपये या उससे अधिक की पुनर्वास राशि) को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से पेंसिल पोर्टल से सीधे जोड़ा जाना चाहिए [35]

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में बाल श्रम की निगरानी के लिए "पेंसिल" पोर्टल का उपयोग एक क्रांतिकारी डिजिटल हस्तक्षेप है। इसने बाल श्रम जैसे संवेदनशील मुद्दे को प्रशासनिक फाइलों से निकालकर एक पारदर्शी डिजिटल मंच पर ला खड़ा किया है। यद्यपि डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन 'समग्र शिक्षा अभियान' के साथ एकीकरण और 'जियो-टैगिंग' जैसे हालिया विधिक सुधार इस लड़ाई को एक नई दिशा दे रहे हैं।

पेंसिल पोर्टल केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक है। इसकी सफलता न केवल कोड और एल्गोरिदम पर, बल्कि विभागों के बीच समन्वय, पुलिस की सक्रियता और समाज की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश, अपनी सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना और डिजिटल पहलों के साथ, 2025-2030 तक बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक अग्रणी राज्य बनने की क्षमता रखता है। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8.7 की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि पेंसिल पोर्टल जैसे डिजिटल उपकरणों का निरंतर परिष्करण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत का भविष्य—उसके बच्चे—औजारों के बजाय अपने हाथों में पेंसिल थामें [1]।

Works cited

1. PENCIL Portal - Objectives, Features, Components & Beneficiaries - Testbook, accessed on March 9, 2025, https://testbook.com/ias-preparation/pencil-portal
2. श्रम के दुष्चक्र में विलीन बाल श्रमिकों की शिक्षा एक - TIJER.org, accessed on March 9, 2025, https://tijer.org/tijer/papers/TIJER2505098.pdf
3. PENCiL पोर्टल, accessed on March 9, 2025, https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/pencil-portal
4. Child Labour: Causes, Impact & Associated Challenges - PMF IAS, accessed on March 9, 2025, https://www.pmfias.com/child-labour/
5. A Discourse on Child Labour Policy in India (By- Sulochana Anu), accessed on March 9, 2025, https://www.ijlra.com/details/a-discourse-on-child-labour-policy-in-india-by-sulochana-anu-
6. PENCIL portal being used for effective enforcement of Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, accessed on March 9, 2025, https://www.labour.gov.in/static/uploads/2025/06/784241214c77ef00b461c60f097c824c.pdf
7. Multi pronged strategy adopted by government to combat child labour-Heeralal Samariya, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframe

Page.aspx?PRID=1573993

8. Launching of Pencil Portal to Eliminate Child Labour - Press Release:Press Information Bureau, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1514293
9. Union Home Minister launches Platform for Effective Enforcement for No Child Labour (PENCIL) Portal - PIB, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1504063®=37&lang=1
10. What Is PENCIL Portal | PDF | Child Labour - Scribd, accessed on March 9, 2025, https://www.scribd.com/document/841632603/What-is-PENCIL-Portal
11. What are the Features of Pencil Portal? - Vedantu, accessed on March 9, 2025, https://www.vedantu.com/general-knowledge/features-of-pencil-portal
12. PENCiL Portal - IndiaFilings, accessed on March 9, 2025, https://www.indiafilings.com/learn/pencil-portal
13. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की मुख्य विशेषताएं - NCLP in Hindi - Testbook, accessed on March 9, 2025, https://testbook.com/hi/ias-preparation/national-child-labour-project-nclp
14. What are the features of PENCIL Portal?, accessed on March 9, 2025, https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-are-the-features-of-pencil-portal-1515751468-1
15. (PDF) PENCIL Portal and Child Labour - ResearchGate, accessed on March 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/370750434_PENCIL_Portal_and_Child_Labour
16. National Child Labour Project, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1593410
17. National child labour project scheme - Press Release: Press Information Bureau, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1849795
18. Set up of schools for child labour - PIB, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2002659
19. Implementation of National Child Labour Project scheme, accessed on March 9, 2025, https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/696941/1/IQ_248_06022019_U386_p204_p207.pdf
20. Madhya Pradesh Labour Services Online – Registration ..., accessed on March 9, 2025, https://labour.mponline.gov.in/portal/services/Shramsewa/Home.aspx?langid=2
21. National Child Labour Projects - Wikipedia, accessed on March 9, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/National_Child_Labour_Projects
22. Madhya Pradesh Labour Laws 2026: Stay Compliant & Save Fines - Futurex Solutions, accessed on March 9, 2025,

https://futurexsolutions.com/labour-law-compliance-in-mp-madhya-pradesh-2026/

23. GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1083 TO BE ANSWERED ON 10.02.2025 CHILD L, accessed on March 9, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1083_JUu0qw.pdf?source=pqals
24. Child labour rescue operations, accessed on March 9, 2025, https://www.labour.gov.in/static/uploads/2025/06/e3ee78b8febb8d02eba72af70f9046f4.pdf
25. Digital Literacy in India: Bridging the Gap for Rural Children - CRY, accessed on March 9, 2025, https://www.cry.org/blog/empowering-rural-children-and-communities-in-india-through-digital-literacy/
26. The Role of Digital Literacy in Improving Educational Outcomes in Rural Parts of India - IJFMR, accessed on March 9, 2025, https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/39327.pdf
27. A STUDY ON DIGITAL LITERACY IN RURAL AREAS COVERED UNDER MP HIGHER EDUCATION - Anveshana's International Publication, accessed on March 9, 2025, http://publications.anveshanaindia.com/wp-content/uploads/2024/04/A-STUDY-ON-DIGITAL-LITERACY-IN-RURAL-AREAS-COVERED-UNDER-MP-HIGHER-EDUCATION.pdf
28. digital literacy in rural areas - Press Release: Press Information Bureau, accessed on March 9, 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1843061
29. Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2025, accessed on March 9, 2025, https://complinity.com/legal-update/madhya-pradesh-labour-laws-amendment-and-miscellaneous-provisions-act-2025-21496/
30. Labour Laws in Madhya Pradesh 2025: Minimum Wages, Working Hours, Benefits - Asanify, accessed on March 9, 2025, https://asanify.com/blog/labour-laws/labour-laws-in-madhya-pradesh-2025-minimum-wages-working-hours-benefits/
31. annual report 2020-21 - Ministry of Labour & Employment, accessed on March 9, 2025, https://www.labour.gov.in/static/uploads/2025/06/487a19cfbf36c71af5316c11eaa4ee64.pdf
32. Annual Report 2021-22 - Ministry of Labour & Employment, accessed on March 9, 2025, https://www.labour.gov.in/static/uploads/2025/06/fcf261355629d851464b3f6d9bcfad55.pdf
33. CHILD LABOUR IN INDIA 2156. SHRI BINOY VISWAM, accessed on March 9, 2025, https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/732034/1/PQ_257_04082022_U2156_p29

1_p294.pdf

34. 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: India - DOL.gov, accessed on March 9, 2025, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/india.pdf
35. 2018 Findings on the Worst Forms of Child Labor: India - DOL.gov, accessed on March 9, 2025, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/india.pdf
36. child labour : know more - Kailash Satyarthi Children's Foundation, accessed on March 9, 2025, https://satyarthi.org.in/wp-content/uploads/2020/02/child-labour-now-more.pdf
37. Madhya Pradesh State Action Plan for Child Protection 2023-2027^ - Mphc.gov.in, accessed on March 9, 2025, https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/PDF/publication/Madhya%20Pradesh%20State%20Action%20Plan%20for%20Child%20Protection%202023-2027.pdf
38. Untitled - Mphc.gov.in, accessed on March 9, 2025, https://mphc.gov.in/PDF/web_pdf/JJC/PDF/publication/TOR%20of%20Labor%20Department%20for%20the%20abolition%20and%20rehabilitation%20of%20child%20and%20adolescent%20labor%20practices.pdf
39. childline calling... is india listening?, accessed on March 9, 2025, https://childlineindia.org/uploads/files/20200629102543_CHILDNETVOL_12.pdf
40. CHILD HOPE - VV Giri National Labour Institute, accessed on March 9, 2025, https://vvgnli.gov.in/sites/default/files/2024-01/Child%20Hope%20July-September%202021%20English.pdf
41. An Empirical Study on the Status of Child Labour before and after the Implementation of National Child Labour Project Scheme in, accessed on March 9, 2025, https://acadpubl.eu/hub/2018-119-17/1/24.pdf